जनपद शामली पुलिस

--मीडिया / सोशल मीडिया सेल शामली--

प्रेसविज्ञप्ति **दिनांक 07.06.2022**

थाना कैराना

थाना कैराना पुलिस, एसओजी टीम व सर्विलांस टीम की संयुक्त कार्यवाही मे मौहल्ला अफगानान कैराना में श्री राशिद की हत्या का सफल अनावरण, 04 शातिर हत्याभियुक्त गिरफ्तार एवं कब्जे से अवैध हथियार बरामदः-

दिनांक 31.05.2022 को समय प्रातः करीब 03.00 बजे थाना कैराना क्षेत्रांतर्गत मोहल्ला अफगान में एक सेंट्रो कार में सवार कुछ अज्ञात बकरी चोरों द्वारा बकरी चुराते समय बकरी मालिक राशिद पुत्र जमील निवासी मोहल्ला अफगान थाना कैराना जनपद शामली के जाग जाने व पीछा करने पर राशिद उपरोक्त को कार से टक्कर मारकर घायल कर अपनी कार मौके पर छोड़कर भागने की सूचना थाना कैराना पुलिस को प्राप्त हुई थी । सूचना पर तत्काल कैराना पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर घायल को सीएचसी कैराना भेज दिया गया था। जहां घायल को हायर सेंटर रेफर किया गया था। हायर सेंटर ले जाते समय रास्ते में ही राशिद उपरोक्त की मृत्यु हो गई। कैराना पुलिस द्वारा मृतक के शव को कब्जे में लेकर पंचायतनामा की कार्यवाही कर पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया गया था । घटना स्थल का निरीक्षण वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शामली एवं क्षेत्राधिकारी कैराना द्वारा किया गया तथा घटनास्थल से महत्वपूर्ण साक्ष्य एकत्रित किये गये । मृतक के परिजनों की तहरीर के आधार पर थाना कैराना पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था। अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शामली द्वारा थाना प्रभारी कैराना एवं एसओजी टीम एवं सर्विलांस टीम को निर्देशित किया गया था।

इसी क्रम मे आज दिनांक 07.06.2022 को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शामली श्री सुकीर्ति माधव के आदेशानुसार अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन तथा क्षेत्राधिकारी कैराना के निकट पर्यवेक्षण में थाना कैराना पुलिस , एसओजी शामली एवं सर्विलांस टीम शामली की संयुक्त कार्यवाही मे घटना का सफल अनावरण करते हुए राशिद की हत्या करने वाले 04 शातिर अभियुक्तगणों को अवैध हथियार सहित गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना कैराना पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरणः- पूछताछ में अभियुक्तगणों ने बताया कि राशिद हत्याकाण्ड मे प्रयुक्त सेन्ट्रो कार को दिनांक 24.05.2022 की रात्रि में मोहल्ला खैल कस्बा कांधला से भूरा उर्फ मुर्सलीन , अमन और सूफियान ने चोरी की थी तथा इस सेन्ट्रो कार की असली नम्बर प्लेट उताकर कूट रचित फर्जी नम्बर प्लेट लगाकर अभियुक्तगण ने ग्राम मुझेडा मीरापुर जिला मु0नगर मे बकरे चोरी करने के लिए गये लेकिन जाग होने के कारण सफल नही हो सके। इसके उपरांत दिनांक 31.05.2022 को प्रातः 03.00 बजे कस्बा कैराना के मौ 0 अफगानान में अभियुक्तगण मुर्सलीन उर्फ भूरा , सारिक और शहवाज उर्फ सिराज ने मृतक श्री राशिद के घर से बकरी चोरी करने गये। बकरी चोरी करते समय श्री राशिद/घरवालों के जाग जाने तथा रोकने पर भागने के दौरान अभियुक्तगण ने सेन्ट्रो कार से टक्कर मारकर दी थी , जिससे श्री राशिद की मृत्यु हो गयी थी। घटना के उपरान्त अभियुक्तगणों को मुनीर ने अपने घर में शरण दी थी।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तगणः-

1. मुर्सलीन उर्फ भूरा पुत्र जरीफ उर्फ जीफा निवासी मौ0 दरबारखुर्द कस्बा व थाना कैराना जिला शामली।
2. सारिक पुत्र जरीफ उर्फ जीफा निवासी म0न0 128 मौ0 दरबारखुर्द कस्बा व थाना कैराना जिला शामली।
3. अमन पुत्र मेहराज निवासी मर्कज वाली मस्जिद मौ0 मिरदगान थाना काधला जिला शामली।
4. मुनीर पुत्र शमीम निवासी नई बस्ती खुरगान रोड थाना कैराना जिला शामली।

नाम व पता फरार अभियुक्तः-

1.शहराज उर्फ सिराज पुत्र रजाउल निवासी मौहल्ला नई बस्ता खुरगान रोड थाना कैराना जिला शामली।

बरामदगी का विवरण:-

1.एक तमंचा 315 बोर नाजायज व 02 जिन्दा कारतूस 315 बोर।

2.तीन छुरे नाजायज।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त मुर्सलीन उर्फ भूराः-

1.मु0अ0स0-277/21 धारा- 414 भादवि थाना कैराना जनपद शामली।
2.मु0अ0स0- 624/21 धारा- 379/411 भादवि थाना कैराना जनपद शामली।
3.मु0अ0स0- 112/22 धारा- 380/411/465 भादवि थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर।
4.मु0अ0स0-260/22 धारा- 302/393/420/465/468/471/212 भादवि थाना कैराना जनपद शामली।
5.मु0अ0स0-276/22 धारा- 3/25 शस्त्र अधि0 थाना कैराना जनपद शामली।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त.सारिकः-

1.मु0अ0स0-88/22 धारा- 60 आबकारी अधि0 व 272/273 भादवि थाना कैराना जनपद शामली।
2.मु0अ0स0-368/21 धारा- 8/21 एनडीपीएस एक्ट थाना कैराना जनपद शामली।
3.मु0अ0स0-369/21 धारा-414 भादवि थाना कैराना जनपद शामली।
4.मु0अ0स0-623/20 धारा-307 भादवि थाना काधला जनपद शामली।
5.मु0अ0स0-625/20 धारा-25 शस्त्र अधि0 थाना काधला जनपद शामली।
6.मु0अ0स0-626/20 धारा-414 भादवि थाना काधला जनपद शामली।
7.मु0अ0स0-348/20 धारा-379 भादवि थाना शाहपुर जनपद मु0नगर।
8.मु0अ0स0-260/22 धारा- 302/393/420/465/468/471/212 भादवि थाना कैराना जनपद शामली।
9.मु0अ0स0-277/22 धारा- 4/25 शस्त्र अधि0 थाना कैराना जनपद शामली।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त अमनः-

1.मु0अ0स0-207/22 धारा- 379 भादवि थाना काधला जनपद शामली।
2.मु0अ0स0-278/22 धारा- 4/25 शस्त्र अधि0 थाना कैराना जनपद शामली।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त मुनीरः-

1.मु0अ0स0- 111/21 धारा-411/414 भादवि थाना कैराना जनपद शामली।
2.मु0अ0स0- 572/20 धारा- 380/457/411 भादवि थाना कैराना जनपद शामली।
3.मु0अ0स0-260/22 धारा- 302/393/420/465/468/471/212 भादवि थाना कैराना जनपद शामली।
4.मु0अ0स0-279/22 धारा- 4/25 शस्त्र अधि0 थाना कैराना जनपद शामली।

थाना आदर्शमण्डी

थाना आदर्शमण्डी पुलिस द्वारा गैंगस्टर एक्ट मे वांछित घटना में 15000/- हजार रूपये का ईनामी बदमाश गिरफ्तार।

आज दिनांक 07.06.2022 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री सुकीर्ति माधव के आदेशानुसार चलाये जा रहे वांछित/इनामी अपराधियों की गिरफ्तारी अभियान के अनुपालन में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन तथा क्षेत्राधिकारी नगर के निकट पर्यवेक्षण में थाना आदर्शमण्डी पुलिस द्वारा गैंगस्टर एक्ट मे वांछित 15000/- रूपये का इनामी गैंगस्टरं को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है । गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना आदर्शमण्डी पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है ।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तगणः-

1.सागर उर्फ छिन्नू पुत्र सुधीर निवासी मौ 0 ज्वाहारनगर कस्बा बनत थाना आदर्शमण्डी जनपद शामली।

आपराधिक इतिहास गिरफ्तार अभियुक्त-

1-मु0अ0सं0 201/20 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना आदर्शमण्डी जनपद शामली ।

2-मु0अ0सं0 108/20 धारा 394,506,411 भादवि थाना आदर्शमण्डी जनपद शामली ।

3-मु0अ0सं0 299/20 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना आदर्शमण्डी जनपद शामली ।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन में जनपद की मॉनिटरिंग सेल द्वारा आयुध अधिनियम के मामले में अभियुक्त को प्रभावी पैरवी के चलते मा0 न्यायालय द्वारा सुनाई गई जेल में बिताई गई सजा, साथ ही अर्थदण्ड से भी दंडित किया।

वर्ष 2002, 2003 को थाना बाबरी पुलिस द्वारा अभियुक्त सतपाल पुत्र जगन निवासी गोगवान जलालपुर थाना बाबरी जनपद शामली के विरुद्ध मु0अ0सं0 158/02 धारा 4/25 A ACT तथा अभियुक्त ब्रजपाल पुत्र कालू निवासी बन्तीखेडा थाना बाबरी जनपद शामली के विरुद्ध मु0अ0सं0 24/03 धारा 25 A ACT के विरूद्व मुकदमा दर्ज किये गये थे। जिसमें अभियुक्तों के कब्जे से अवैध हथियार बरामद हुए थे। उक्त मुकदमे में अभियुक्तों को गिरफ्तार कर साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करते हुए थाना बाबरी पुलिस द्वारा आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया था। उक्त मुकदमें में अभियुक्तों को सजा कराए जाने के लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शामली द्वारा जनपद की मॉनिटरिंग सेल को न्यायालय में चलाने के लिए निर्देशित किया गया था। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन में थाना बाबरी/ मॉनिटरिंग सेल द्वारा माननीय न्यायालय में प्रभावी पैरवी कर सजा कराने में सफलता प्राप्त की है। आज दिनांक 07.06.2022 को माननीय न्यायालय द्वारा सुनाई अभियुक्त सतपाल उपरोक्त को धारा 4/25 आयुध अधिनियम के जेल में बिताई गई अवधि की सजा एवं 1000/- रूपये अर्थदण्ड तथा अभियुक्त ब्रजपाल उफरोक्त को धारा 25 A ACT के जेल में बिताई गई अवधि की सजा व 3000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित भी किया गया है।

नाम व पता अभियुक्तगणः-

1. सतपाल पुत्र जगन निवासी गोगवान जलालपुर थाना बाबरी जनपद शामली।
2. ब्रजपाल पुत्र कालू निवासी बन्तीखेडा थाना बाबरी जनपद शामली।

<u>थाना झिंझाना</u>

02 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 10 लीटर कच्ची शराब व 22 अध्धे देशी शराब बरामद- आज दिनांक 07.06.2022 को थाना झिंझाना पुलिस द्वारा 02 अभियुक्तगण 1. जीताराम पुत्र पातीराम निवासी मौ0 माजरा थाना झिंझाना जनपद शामली 2. शंकर पुत्र कालूराम निवासी ग्राम खानपुर कला थाना झिंझाना जनपद शामली को अवैध 10 लीटर कच्ची शराब व 22 अध्धे देशी शराब हरियाणा मार्का सहित गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। गिरफ्तारी व बरामदगी के संबंध में थाना झिंझाना पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।